

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4
के अन्तर्गत परिवहन विभाग के बारे
में सूचनाएँ

परिवहन विभाग

I- संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य :-

परिचय, मुख्य उद्देश्य एवं लक्ष्य

राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में परिवहन विभाग की अहम् भूमिका है । आज राज्य के सुदूर एवं दुरूह क्षेत्रों से यात्री एवं माल को पूरे राष्ट्र में परिवहन के विभिन्न साधनों से पहुँचाया जा रहा है । नये-नये मागा के निर्माण एवं विस्तार के कारण परिवहन व्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद की गति में वृद्धि लाने की अपार क्षमता है । विकास काया के सफल कार्यान्वयन हेतु परिवहन प्रक्षेत्र की सक्रिय सहभागिता एवं भूमिका है ।

बिहार सरकार का परिवहन विभाग परिवहन की दिशा में जन सुविधाओं की अभिवृद्धि के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम, मोटर वाहन करारोपण अधिनियम एवं तत्संबंधी नियमों के कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण दायित्वा का निर्वहन करता है ।

परिवहन विभाग के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय यथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार तथा जिला परिवहन कार्यालय के माध्यम से शुल्क, मार्ग-कर तथा शमन की राशि संग्रहित की जाती है । जन सुविधा के क्षेत्र म परिवहन विभाग के अधीन बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा यातायात सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

बिहार राज्य के आन्तरिक संसाधन एकत्रित करनेवाले विभागा में परिवहन विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है । आज परिवहन विभाग मुख्यालय सहित नौ प्रमंडलों, 38 जिलों, छः चेक-पोस्टा पर कार्यरत अपने अधीनस्थ कार्यालयों के माध्यम से राजस्व संग्रहण करने में महत्वपूर्ण दायित्वा का निर्वहन कर रहा है । आज की तिथि में मोहनियाँ, गया, बक्सर, गोपालगंज, पूर्णिया तथा नवादा जिला में चेक पोस्ट कार्यरत है ।

राज्य की वर्तमान संसाधन उपलब्धता को देखते हुए समाज के अधिकाधिक गरीब लोगों के लिए यातायात के विभिन्न सस्ते साधना एवं आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाना आवश्यक है ताकि बाजारों, अस्पतालों, स्कूलों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन आदि तक आवागमन हेतु यातायात व्यवस्था सुगम एवं निरापद हो सके । इस सेवा प्रक्षेत्र को इस रूप में विकसित करना आवश्यक है जिसमें परिवहन संचालन एवं संरचनाओं के विकास के साथ-साथ नियोजन के अवसरा में भी बढ़ोत्तरी हो सके । नागरिका की मोटर वाहन परिचालन संबंधी 21 वीं सदी की अपेक्षाओं के अनुरूप मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का दृढ़ अनुपालन, परिवहन सुविधाओं के विकास हेतु नवीनतम प्रौद्योगिकी का

उपयोग, स्वयं को नागरिका की अहर्निश सेवा में समर्पित रखना और नागरिक सेवाओं को पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्यों से समंजित करते हुए उत्तरोत्तर अधिक उन्नत एवं मैत्रीपूर्ण बनाना ही परिवहन विभाग, बिहार सरकार का ध्येय है । इस ध्येय की प्राप्ति हेतु विभाग वाहना के निबंधन, कर संग्रहण, प्रदूषण नियंत्रण, चालक/ संवाहक लाईसेन्सा के निर्गमन, सुरक्षित परिचालन एवं दुर्घटनाओं से निपटने के उपाय आदि के संबंध में पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासनिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस हेतु जन सहयोग की आकांक्षा है ।

परिवहन विभाग के द्वारा किये जाने वाले कार्य

1. मोटर परिवहन नियंत्रण ।
2. मोटर गाड़ी करारोपण ।
3. यंत्र चालित जलयानों के संबंध में संसद द्वारा विधित राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित अन्तर्देशीय जलमार्ग से जहाजरानी और नौ परिवहन।
4. अन्तर्देशीय जलमार्ग से जहाजरानी और नौ परिवहन ।
5. घाट (फेरीज) ।
6. रेलवे एवं लघु रेलवे (भारत सरकार को पत्राचार) ।
7. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का नियंत्रण ।
8. परिवहन विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण ।
9. परिवहन विभाग के दखल में स्थित सभी भवना का प्रशासनिक प्रभार।

II- परिवहन विभाग के कार्या को सात प्रभागों में विभक्त करते हुए उसके साथ कार्य प्रकृति के अनुसार प्रशाखाओं को सम्बन्ध किया गया है ।


1. प्रशाखाएँ निम्न प्रकार हैं:-

क्रम	प्रभाग	सम्बन्ध प्रशाखा
1	सभी जिला परिवहन पदाधिकारी एवं सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार स्थापना संबंधित कार्य	प्रशाखा-5
2	क्षेत्रीय स्थापना प्रभाग	प्रशाखा-5
3	बजट एवं लोक लेखा, राजस्व संग्रहण	प्रशाखा-3
4	मुख्यालय स्थापना/मंत्री स्थापना/प्रवर्तन तंत्र स्थापना/लेखा/अन्तर्देशीय जल परिवहन	प्रशाखा-7
5	मोटर वाहन नियंत्रण	प्रशाखा-2
6	मोटर गाड़ी करारोपण	प्रशाखा-2
7	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	प्रशाखा-1

2 उपर्युक्त प्रभागों के वरीय एवं कनीय प्रभार की व्यवस्था निम्न प्रकार है:-

क्रम	प्रभाग	प्रशाखा	वरीय प्रभार
1	राजपत्रित (क्षेत्रीय), जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटर यान निरीक्षक एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के स्थापना संबंधित सभी कार्य	5	विशेष सचिव
2	क्षेत्रीय स्थापना	5	विशेष सचिव
3	बजट एवं लेखा	3	संयुक्त सचिव
4	मुख्यालय स्थापना/मंत्री स्थापना/प्रवर्तन तंत्र स्थापना/लेखा/ अन्तर्देशीय जल परिवहन	5,7	अपर परिवहन आयुक्त
5	मोटर परिवहन नियंत्रण	2	विशेष सचिव
6	मोटर गाड़ी करारोपण	2	विशेष सचिव
7	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	1	संयुक्त सचिव
8	परिवहन विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण	7	विशेष सचिव
9	राष्ट्रीय जलमार्ग	7	संयुक्त परिवहन आयुक्त-II

III- 1. निर्णय लेने की प्रक्रिया एवं पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व का माध्यम:-
परिवहन विभाग म विभागीय कार्यों में निर्णय लेने के पद सोपान
निम्नवत् है-



विभागीय मामला की समीक्षा में प्रशाखा स्तर से लेकर राज्य परिवहन आयुक्त, प्रधान सचिव एवं विभागीय मंत्री का संयुक्त उत्तरदायित्व रहता है ।

2. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार:-

बिहार राज्य के अन्तर्गत सभी 9 प्रमंडलों में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का गठन किया गया है, जिसके प्रशासनिक पदाधिकारी संयुक्त परिवहन आयुक्त-सह-सचिव होते हैं, जिनके द्वारा अपने प्राधिकार अथवा दो परिवहन प्राधिकार के क्षेत्रा के अन्तर्गत चलने वाले व्यवसायिक वाहना का परमिट निर्गत करने एवं परमिट संबंधी विविध काया का निष्पादन किया जाता है।

3. जिला परिवहन पदाधिकारी :-

राज्य के अन्तर्गत सभी जिला में जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यरत होते हैं, जो जिला परिवहन कार्यालय के नियंत्री पदाधिकारी होते हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी का मुख्य दायित्व वाहनों का निबंधन, चालक अनुज्ञप्ति निर्गत करना एवं करा का वसूली करना है। सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 में वर्णित 18 सेवाएँ जिला परिवहन कार्यालय द्वारा प्रदत्त की जाती हैं जो निम्नलिखित हैं :-

क्रम	परिवहन विभाग की सेवाएँ	प्राधिकृत पदाधिकारी/ निष्पादन की अवधि	प्रथम अपीलीय पदाधिकारी/ निष्पादन की अवधि	द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी/ निष्पादन की अवधि
1	प्रशिक्षु अनुप्ति का निर्गमन	जिला परिवहन पदाधिकारी 15 कार्य दिवस	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार 15 कार्य दिवस	प्रमण्डलीय आयुक्त 21 कार्य दिवस
2	विविध चालक अनुज्ञपितया का निर्गमन/नवीकरण	जिला परिवहन पदाधिकारी 30 कार्य दिवस	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार 15 कार्य दिवस	प्रमण्डलीय आयुक्त 21 कार्य दिवस
3	चालन अनुज्ञपित की द्वितीय का निर्गमन/इन्डोर्समेन्ट	जिला परिवहन पदाधिकारी 15 कार्य दिवस	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार 15 कार्य दिवस	प्रमण्डलीय आयुक्त 21 कार्य दिवस
4	चालन अनुज्ञप्ति का स्मार्ट कार्ड में संपरिवर्तन	जिला परिवहन पदाधिकारी 15 कार्य दिवस	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार 15 कार्य दिवस	प्रमण्डलीय आयुक्त 21 कार्य दिवस
5	अन्तर्राष्ट्रीय चालक अनुज्ञा पत्र का निर्गमन	जिला परिवहन पदाधिकारी 30 कार्य दिवस	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार 15 कार्य दिवस	प्रमण्डलीय आयुक्त 21 कार्य दिवस
6	वाहनों का अस्थायी निबंधन	जिला परिवहन पदाधिकारी 15 कार्य दिवस	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार 15 कार्य दिवस	प्रमण्डलीय आयुक्त 21 कार्य दिवस
7	नये निजी वाहनों/परिवहन वाहन का निबंधन	जिला परिवहन पदाधिकारी 30 कार्य दिवस	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार 15 कार्य दिवस	प्रमण्डलीय आयुक्त 21 कार्य दिवस
8	निबंधन प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति का निर्गमन	जिला परिवहन पदाधिकारी 15 कार्य दिवस	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार 15 कार्य दिवस	प्रमण्डलीय आयुक्त 21 कार्य दिवस
9	निबंधन प्रमाण का नवीकरण	जिला परिवहन पदाधिकारी 15 कार्य दिवस	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार 15 कार्य दिवस	प्रमण्डलीय आयुक्त 21 कार्य दिवस
10	वाहनों के निबंधन का रद्दीकरण	जिला परिवहन पदाधिकारी 45 कार्य दिवस	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार 45 कार्य दिवस	प्रमण्डलीय आयुक्त 21 कार्य दिवस
11	ट्रेड सटिफिकेट का निर्गमन/नवीकरण	जिला परिवहन पदाधिकारी 15 कार्य दिवस	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार 15 कार्य दिवस	प्रमण्डलीय आयुक्त 21 कार्य दिवस
12	कर प्रतीक का निर्गमन	जिला परिवहन पदाधिकारी 7 कार्य दिवस	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार 7 कार्य दिवस	प्रमण्डलीय आयुक्त 21 कार्य दिवस
13	वाहनों का प्रत्यर्पण	जिला परिवहन पदाधिकारी 30 कार्य दिवस	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार 30 कार्य दिवस	प्रमण्डलीय आयुक्त 21 कार्य दिवस
14	पेट्रोल पम्प अनुज्ञप्ति का निर्गमन/नवीकरण	जिला परिवहन पदाधिकारी 30 कार्य दिवस	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार 30 कार्य दिवस	प्रमण्डलीय आयुक्त 21 कार्य दिवस
15	परिवहन वाहना का दुरुस्ती प्रमाण का निर्गमन/नवीकरण	मोटर यान निरीक्षक 15 कार्य दिवस	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार 15 कार्य दिवस	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी 21 कार्य दिवस
16	प्रत्यर्पित/दुर्घटनाग्रस्त वाहना का जांच प्रतिवेदनप	मोटर यान निरीक्षक 15 कार्य दिवस	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार 15 कार्य दिवस	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी 21 कार्य दिवस
17	दुरुस्ती प्रमाण पत्र का द्वितीय प्रति का निर्गमन	मोटर यान निरीक्षक 10 कार्य दिवस	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार 10 कार्य दिवस	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी 21 कार्य दिवस
18	कर माफी/वापसी के आवेदनों का निस्तार	जिला परिवहन पदाधिकारी 30 कार्य दिवस	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार 30 कार्य दिवस	प्रमण्डलीय आयुक्त 21 कार्य दिवस

4. मोटर यान निरीक्षक:-

मोटरयान निरीक्षका का मुख्य दायित्व सभी प्रकार के वाहना का दुरुस्ती प्रमाण पत्र निर्गत करना है, चालक अनुज्ञप्ति नीति से पहले आवेदको का टेस्ट लेना एवं सड़क पर वाहना की जांच करना है ।

5. प्रवर्तन तंत्र :-

परिवहन विभाग के नियंत्रणाधीन मोटरवाहन अधिनियम 1988 एवं बिहार मोटरवाहन नियमावली, 1989 के द्वारा प्रावधानित नियमों के अनुरूप सड़कों पर वाहना का परिचालन सुनिश्चित करने हेतु प्रवर्तन तंत्र के अन्तर्गत प्रवर्तन पदाधिकारी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पद स्वीकृत है ।

IV- परिवहन विभाग के अधीन सभी शाखाओं के बीच कार्य आवंटन के अनुरूप काया एवं दायित्वा का निर्वहन किया जाता है ।

V- परिवहन विभाग के अधीन परिवहन से संबंधी नियमावली, विभागीय अनुदेशों, नियमों का पालन किया जाता है, जो निम्न प्रकार से हैं:-

- (क) केन्द्रीय मोटर गाड़ी अधिनियम, 1988
- (ख) केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989
- (ग) बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992
- (घ) बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994
- (ङ) बिहार मोटर वाहन करारोपण नियमावली, 1994

VI- किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता को सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विध्यमान है:-

(क) राज्य सड़क सुरक्षा परिषद :-

परिवहन विभाग म राज्य सड़क सुरक्षा परिषद विभागीय ज्ञापांक 5576 दिनांक 11.07.96 द्वारा गठित है । इसके अध्यक्ष माननीय मंत्री, परिवहन विभाग है एवं सदस्य सचिव राज्य परिवहन आयुक्त है ।

बिहार सरकार भी मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 215 की उपधारा (2) के अन्तर्गत राज्य सड़क सुरक्षा परिषद तथा उप धारा (3) के अन्तर्गत जिला सड़क सुरक्षा समिति का गठन निम्नलिखित रूप में करती है :-

1	मंत्री, परिवहन विभाग	अध्यक्ष
2	सचिव, परिवहन विभाग	सदस्य
3	सचिव, पथ निर्माण विभाग	सदस्य
4	सचिव, गृह विभाग	सदस्य
5	आरक्षी महानिदेशक	सदस्य
6	सचिव, नगर विकास विभाग	सदस्य
7	राज्य परिवहन आयुक्त	सदस्य सचिव
8	उपाध्यक्ष, पटना क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	सदस्य
9	प्रशासक, पटना नगर निगम	सदस्य
10	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	सदस्य
11	निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	सदस्य
12	अध्यक्ष, ऑटोमोबाईल एसोसियेशन ऑफ इस्टर्न इंडिया	सदस्य
13	अध्यक्ष, ट्रक ऑनर्स, बिहार, पटना	सदस्य
14	अध्यक्ष, बस ऑनर्स एसोसियेशन	सदस्य
15	अध्यक्ष, ट्रांसपोर्ट फेडरेशन, बिहार, पटना	सदस्य

इसका कार्य सड़क सुरक्षा के उपाया पर विचार करना, भारत सरकार को एतद् हेतु प्रस्ताव भेजना तथा जिला सुरक्षा समिति को सड़क सुरक्षा के उपाया पर सुझाव एवं निदेश देना ।

(ख) जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा कमिटी :-

जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा कमिटी जिला पदाधिकारी के अध्यक्षता में गठित है और इसके सदस्य सचिव जिला परिवहन पदाधिकारी होते हैं ।

1	जिला पदाधिकारी	अध्यक्ष
2	आरक्षी अधीक्षक	सदस्य
3	आरक्षी उपाधीक्षक, प्रवर्तन/प्रवर्तन अवर निरीक्षक	सदस्य
4	कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग	सदस्य
5	प्रमंडलीय प्रबंधक, पथ परिवहन निगम	सदस्य
6	सिविल सर्जन	सदस्य
7	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	सदस्य
8	कार्यपालक पदाधिकारी, नगरपालिका	सदस्य
9	जिला परिवहन पदाधिकारी	सदस्य-सह-सचिव
10	मोटर या निरीक्षक	सदस्य
11	ट्रांसपोर्ट एसोसियेशन के प्रतिनिधि	सदस्य

इसका कार्य जिला स्तर पर सड़क सुरक्षा के उपाय करना तथा एतद् संबंधी बिन्दुओं को पृच्छित करना है तथा प्रस्ताव राज्य सड़क सुरक्षा परिषद को भेजना ।

VII- परिवहन विभाग के अधीन गठित कार्यरत प्राधिकार एवं कार्यालयों की सूची, पता एवं किये जाने वाले कार्यों के नाम निम्नलिखित है:-

क्रम	आयोग का नाम	कार्य
1	राज्य परिवहन प्राधिकार, परिवहन विभाग, विश्वेश्रैया भवन, पटना	परिवहन नीति, अन्तर्राज्यीय परमिट की स्वीकृति अन्तर्राज्यीय परमिट समझौता
2	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना, गया, छपरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा	क्षेत्रीय एवं अन्तरक्षेत्रीय परमिट निर्गत करना
3	बिहार राज्य परिवहन निगम, सुल्तान पैलेश, पटना	आम जनता को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिये बसों का संचालन
4	अन्तरदेशीय जल परिवहन निदेशालय, विश्वेश्रैया भवन, पटना	जल परिवहन संबंधी नीति निर्धारण, निदेशन, प्रशिक्षण
5	बिहार राज्य अपीलीय न्यायाधीकरण, पुराना सचिवालय, बैरक, पटना	परिवहन से संबंधित न्यायी कार्य

VIII- वर्ष 2013-14 में परिवहन विभाग की योजनाओं, व्यय और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट:-

आयोजन व्यय (विस्तृत वर्ष 2013-14)

मुख्य शीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत

उपमुख्य शीर्ष 00-051-निर्माण-0101-

लघु शीर्ष जिला परिवहन कार्यालय का निर्माण

विपत्र कोड पी-5055000510101

विषय शीर्ष	उपबंधित राशि
5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत	रू0 11,60,26,000/-

मुख्य शीर्ष 3055-सड़क परिवहन

उपमुख्य शीर्ष 00

लघु शीर्ष 003- प्रशिक्षण

मांग सं0 47

उपशीर्ष 0101 डाईविंग ट्रेनिंग इन्स्टीच्युट

विपत्र कोड पी-3055000030101

विषय शीर्ष	उपबंधित राशि
3055-सड़क परिवहन	रू0 3,00,00,000/-
कुल योग	रू0 14,60,26,000/-

**वित्तीय वर्ष 13-14 में परिवहन विभाग के अन्तर्गत गैर योजना बजट उपबंध की
विवरणी**

क्रम	शीष का नाम	उपबंधित राशि
1	2041-वाहन कर-00-001- निदेशन और प्रशासन -001-राज्य परिवहन अधिकरण विपत्र कोड- एन. 2041000010001	रू0 6,21,08,200/-
2	2041-वाहन कर-00-101- संग्रहण प्रभार -0002-मोटर वाहन पर नियंत्रण विपत्र कोड- एन. 2041001010002	रू0 34,01,12,000/-
3	2041-वाहन कर-00-101- संग्रहण प्रभार -0001-प्रादेशिक परिवहन अधिकरण विपत्र कोड- एन. 2041001010001	रू0 3,26,17,000/-
4	2041-वाहन कर-00-102- मोटर वाहना का निरीक्षण -0001-वाहनों का निरीक्षण विपत्र कोड- एन. 2041001020001	रू0 3,93,57,000/-
5	2052-सचिवालय सामान्य सेवायें -00-090-सचिवालय -0035- परिवहन विभाग विपत्र कोड- एन. 2052000900035	रू0 1,31,52,02,000/-
6	3075-अन्य परिवहन सेवायें-60-अन्य-001- निदेशन तथा प्रशासन-0001-गंगा प्रशिक्षण कार्य विपत्र कोड- एन. 3075600010001	रू0 78,72,000/-
7	3055-सड़क परिवहन डाइविंग ट्रेनिंग इन्टीच्युट विपत्र कोड- पी. 3055000030101	रू0 3,00,00,000/-
8	5055-सड़क परिवहन पर पुंजीगत परिव्यय- डाइविंग ट्रेनिंग इन्टीच्युट विपत्र कोड- पी. 5055000500101	रू0 11,60,26,000/-

IX- परिवहन विभाग द्वारा अनुदत्त, रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियाँ :-

क्रम	विवरण	प्राधिकार का नाम
1	ड्राइविंग लाईसेन्स (प्रशिक्षु एवं स्थाई)	जिला परिवहन कार्यालय
2	मालवाहक/बसा से संबंधित परमिटा का निर्गमन	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार
3	वाहन निबंधन प्रमाण पत्र	जिला परिवहन कार्यालय
4	वाहन प्रशिक्षण स्कूल की अनुज्ञप्ति	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार
5	वाहना के फिटनेश जांच केन्द्रों की अनुज्ञप्ति	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार
6	प्रदूषण जांच केन्द्रों की अनुज्ञप्ति	राज्य परिवहन कार्यालय

X- परिवहन विभाग के अधीन राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) द्वारा निम्न सूचनाएँ इलेक्ट्रॉनिक रूप में संधारित की जाती हैं:-

(क) निबंधित वाहना के संबंध में राज्य एवं राष्ट्रीय निबंधन पंजी:-

www.vahan.nic.in वाहनो हेतु राष्ट्रीय पंजी वेबसाइट पता पर आम जन हेतु वाहन खोज की सुविधा उपलब्ध है । वाहन का विवरण प्राप्त करने हेतु निबंधन संख्या एवं चेसिस सं० की अंतिम पांच अंक को डालना पड़ता है । निबंधित उपयोगकर्ता राष्ट्रीय पंजी पोर्टल पर अन्य सुविधाओं को भी प्राप्त कर सकते हैं जैसे अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) आदि ।

(ख) निर्गत राष्ट्रीय परमिट के आंकड़े ।

(ग) विभागीय राजस्व संबंधी आंकड़े ।